मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. 16-236/91/1-7 (1) स्था. भोपाल, दिनांक 19-6-92

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/अपर सचिव/उपसचिव/अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मध्यप्रदेश सचिवालय,
भोपाल.

विषय.—मध्यप्रदेश सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारी का विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण.

मध्यप्रदेश सचिवालय में कार्यरत शासकीय महिला कर्मचारियों से विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र इस विभाग को प्राप्त होते रहते है. महिला कर्मचारियों के विवाह उपरान्त उनके नाम/उपनाम परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन था. महिला कर्मचारियों के विवाह-उपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण के संवंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि जब किसी शासकीय महिला कर्मचारी द्वारा विवाहोपरान्त नाम/उपनाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ निम्नानुसार अभिलेख भी प्रस्तुत किये जाये :—

(i) संबंधित महिला कर्मचारी द्वारा नाम/उपनाम परिवर्तन के आवेदन पत्र के साथ विवाह की पत्रिका.

(ii) शपथ पत्र.

(iii) दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदाय पहचान प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न है)

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 19-283/1/4/85, दिनांक 16-10-85 के अनुसार स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत नाम परिवर्तन करने वाले विलेख पर रुपये 4/- (चार रुपये) का नानज्यूडिशियल स्टाम्प अनिवार्य रूप से लगाया जाये.

2. उपरोक्तानुसार महिला शासकीय कर्मचारी से अभिलेख प्राप्त होने पर ही उनका नाम/उपनाम परिवर्तित किया जा सकेगा.

3. उक्त प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नाम/उपनाम केवल शासकीय सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु होगा. इससे कोई अन्य दावा प्रमाणित एवं प्रभावित नहीं होगा.

4. उपरोक्त प्रक्रिया केवल मध्यप्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों के लिये निर्धारित की गई है एवं केवल उन्हें ही लागू होगी.

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(विजयपाल सिंह)
उपसचिव स्थापना
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पहचान प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.......... का विवाह दिनांक .... को सम्पन्न हुआ, जिसमें मैं उपस्थित था. इन्हें मैं .... (अवधि) से जानता हूं तथा ये वर्तमान में...... विभाग में .... के पद पर कार्यरत हैं.

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम व पद मुद्रा.